

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र रामसर का कूआ

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
नारायणसिंह पुत्र मानाराम जाति		1.लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम जाति
जाट निवासी धोनरी तालर		जाट 2 हीराराम पुत्र पुराराम 3
तहसील व जिला बाड़मेर		उगराराम पुत्र मानाराम 4
		जुगताराम पुत्र गोधुराम जाति
		माली निवासी धोनरी तालर
		रावतसर तहसील व जिला
		बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-105/2020 दिनांक-17.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा धोनरी तालर पटवार हल्का रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 259/3 रकबा 19.17 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहो करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 17/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6360-6363
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्राप्त करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नारायणसिंह पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी धोनरी तालर तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम वगैराह जातियान जाट/माली निवासीयान धोनरी तालर रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर